

FORM NO. III

APP-A
Orim-I

फर्द अहकाम

2022/227

(नियम 26)

जज अदालत अति. जिला कलेक्टर मुकाम श. प्र.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम अनिल गोयल
 किस्म मुकदमा खाद्य सुरक्षा नं. 31 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/7/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 एव नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/8/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर मुमुनु	
10.08.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने चमेली रा0उ0मा0वि0 के सामने बुहाना में मै0 घनश्याम प्रसाद ज्वाला प्रसाद, के नाम से फर्म कर रखी है। जहां वह लूज बादाम बाजार से खरीद कर बेचान करता है। तथा इस लूज बादाम में अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। अतः इस प्रकरण में अनावेदक पर कम से कम जुर्माना किया जावे। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./673/एक्ट/2022/713 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ बादाम (लूज) सबस्टैण्डर्ड (Sub standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards(Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 घनश्याम प्रसाद ज्वाला प्रसाद पर बादाम (लूज) का बेचान करता है तथा फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ बादाम (लूज) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री अनिल गोयल पुत्र श्री घनश्याम गोयल, मै0 घनश्याम प्रसाद ज्वाला प्रसाद, चमेली रा0उ0मा0वि0 के सामने बुहाना, मुमुनु	अनिल गोयल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> 	